न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

नामान्तरकरण अपील संख्या :– 01 / 2023

अपीलाकर्तागण:–

1. कमलादेवी पत्नी गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. सुरेश कुमार पुत्र गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. ग्राम पंचायत देवडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत देवडा पंचायत समिति समदडी जिला बालोतरा
2. ममता पुत्री नारायण पत्नी गणपतसिंह जाति पुरोहित हॉल नि वासी अर्जियाना तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. इन्द्रादेवी पुत्री गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. बीबीदेवी पुत्री गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. भवनाकंवर पुत्री गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. ममताकंवर पुत्री गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. संतोषी पुत्री गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
8. सोनल पुत्री गुमानजी जाति पुरोहित निवासी देवडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

नामान्तरकरण संख्या 1814 ग्राम पंचायत देवडा दिनांक 20.05.20222 के विरूद्ध प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता अपीलकर्तागण
2. रेस्पोडेन्ट एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 01.09.25

अपीलकर्तागण द्वारा यह अपील रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध रा.भू.अ. की धारा 75 के तहत पेश की गई है। अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा देवडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 505/5 रकबा 09.0973 व खसरा संख्या 550/143 रकबा 6.3859 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। उक्तभूमि अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 के पिता/पति गुमनाराम के नाम की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, गुमानराम का देहान्त दिनांक 11.10.2021 को गया, गुमानराम के देहान्त के पश्चात हल्का पटवारी द्वारा फौतदगी नामान्तरकरण अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 का नाम दर्ज करना था , परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने फौतदगी नामान्तरकरा में अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 के साथ रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम भी सहवन से राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया ,जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्व. गुमानराम के द्वितीय पुत्र सवाईसिंह की पत्नी थी, जिसने स्व.सवाईसिंह के देहान्त के बाद दूसरा विवाह गणपतसिंह पुत्र मानाराम जाति राजपुरोहित निवासी तातडा तहसील सांचोर जिला जालोर के साथ दिनांक 27.09.2010 को करके गणपतसिंह के साथ ही बतौर पत्नी रहवास करती आ रही है ये तथ्य जानते हुये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने गलत तौर से बिना कोई जांच किये अवैध व अनुचित तरीके से फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1814 दिनांक 20.05.2022 को स्वीकृत कर पारित कर दिया जो काबिल अपास्त है गुमानसिंह के दो पुत्र सुरेश व सवाईसिंह तथा छः पुत्रियां तथा गुमानराम की पत्नी है, गुमानराम के जीवनकाल में उनकी बडे पुत्र सवाईसिंह की दिनांक 18.11.2009 को रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई ,सवाईसिंह के देहान्त के पश्चात उसकी पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अपने पीहर में ही रही तथा उसने गणपतसिंह पुत्र मानाराम जाति राजपुरोहित निवासी तातडा जिला जालोर के साथ कर दिया ,रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा दूसरा विवाह करने के उपरान्त स्व. सवाईसिंह व गुमानराम के परिवार से नाता सदैव के लिये तोड दिया व स्व. गुमानराम की सम्पत्ति में किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही रहा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गणतपसिंह के साथ रहकर अपना दाम्पत्य जीवन निर्वहन कर रही है व गणपतसिंह की सम्पत्ति पर काबिज है एसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकण संख्या 1814 में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम पर गुमानराम की सम्पत्ति में वारिस के तौर पर पारित किया है जो अवैध व अनुचित होने से काबिले अपास्त निरस्त योग्य है। अपीलकर्तागण ने धारा 5 परिसीमा अधि0 का प्रार्थना पत्र अपील के संलग्न पेश कर अपील अपीलकर्ता अन्दर म्याद शुमार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1814 दिनांक 20.05.2022 को अपास्त किया जाना का निवेदन किया गया, म्याद के बिन्दू पर सुनवाई को सुरक्षित रखते हुए अपीलकर्तागण की अपील दर्ज कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलकर्तागण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलकर्तागण वकील की बहस है कि सरहद मौजा देवडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 505/5 रकबा 09.0973 व खसरा संख्या 550/143 रकबा 6.3859 हैक्टेयर भूमि जो गुमानराम की खातेदारी की थी, गुमानराम के दो पुत्र सुरेश, सवाईसिंह व 6 पुत्रियां है सवाईसिंह का विवाह रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ हुआ, सवाईसिंह का देहान्त दिनांक 18.11.2009 को रेल दुर्घटना में हो गई ,सवाईसिंह के देहान्त के पश्चात रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 अपने पीहर में रही तथा दिनांक 27.09.2010 को दूसरा विवाह आर्य समाज में जाकर गणपतसिंह पुत्र मानाजी जाति राजपुरोहित निवाी तातडा जिला जालोर के साथ कर दिया ,गुमानराम का देहान्त दिनांक 11.10.2021 को गया, स्व. गुमानराम के देहान्त के पश्चात हल्का पटवारी को राजस्व रेकर्ड में अपीलान्टकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 का नाम फौतदगी नामान्तकरण दर्ज किया जाना था,परन्तु सहवन से हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 8 के साथ रेस्पोटेन्ड संख्या 2 का नाम दर्ज कर दिया गया जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गुमानसिंह के पुत्र सवाईसिंह के देहान्त के पश्चात अपने पीहर चल गई थी तथा गुमानसिंह के परिवार से कोई सम्पर्क नहीं रखा ,रेस्पोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संख्या 2 का विवाह गणपतसिंह के साथ होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का गुमानराम के सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा विद्यमान नहीं है ,रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को गुमानराम के विधिक वारिसान के बारे में पूर्ण जानकारी थी, फिर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध अनुचित तरीके से पारित किया है लिहाजा अपीलकर्तागण की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तरकण संख्या 1814 दिनांक 20.05.2025 को अपास्त किया जाकर मृतक गुमानराम के फौतदगी नामान्तरकरण में अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्टगण संख्या 3 से 8 के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील पर अपीलकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरता से व ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद की परिसीमा के संबंध में छूट हेतू अपना शपथ पत्र अपील के संलग्न पेश किया इसके अनुसार अपीलकर्तागण को दिनांक 26.12.2022 को उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर अपीलकर्ता द्वारा अपील न्यायालय श्री में पेश की गई है। अपीलकर्तागण द्वारा 30 दिनों की समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है अपीलकर्तागण के हक अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित होते है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्तागण को दिनांक 26.12.2022 को विचाराधीन नामान्तरकरण को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलकर्तागण द्वारा दिनांक 09.01.2023 को अपील न्यायालय अज में प्रस्तुत किया गया, अपीलकर्तागण द्वारा अपील म्याद की अवधि में पेश की गई है, अपीलार्थीगण की अपील अन्तर्गत धारा 5 मियाद की परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

अपीलाधीन ग्राम देवडा तहसील समदडी के नामान्तरकरण संख्या 1814 गुमानराम पुत्र रामाराम के फौत होने पर अपीलकर्तागण व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8 के नाम दर्ज किया गया जो ग्राम [illegible] 20.05.2022 के द्वारा स्वीकृत किया गया,रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के शपथ पत्र व गणपत पुत्र मानाजी के शपथ पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने पहले पति सवाईसिंह पुत्र गुमानसिंह के देहान्त के पश्चात गणपतसिंह पुत्र मानाजी के साथ आर्य समाज में द्वितीय विवाह किया है जो आर्य समाज जोधपुर द्वारा जारी वैवाहिक प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested

हिन्दू उत्तराधिकारी एंव स्थिर विधिक सिद्धान्त के अनुसार दूसरी विवाह कर लेने पर पत्नी अपने पूर्व पति की मृत्यु पश्चात उसकी सम्पत्ति में उत्तराधिकारी के रूप में पात्र नहीं रहती । अतः पति की सम्पत्ति पर उसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का दूसरा विवाह गणपतसिंह के साथ होने से विवादित भूमियों में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई अधिकार विद्यमान नहीं रहता है, हल्का पटवारी व ग्राम पंचायत देवडा ने विधि की पालना नहीं करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित कर दिया जो अवैध व अनुचित है।

लिहाजा अपीलाकर्ता की अपील स्वीकार किया जाकर ग्राम देवडा तहसील समदडी के अपीलधीन नामान्तरकरण संख्या 1814 दिनांक 20.05.2025 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए बाद विधिवत सुनवाई सरहद मौजा देवडा तहसील समदडी में खसरा संख्या 505/5 रकबा 09.0973 व खसरा संख्या 550/143 रकबा 6.3859 हैक्टेयर भूमिं में नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.03.28 13:10:04 IST
Reason: SelfAttested